

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास(बोकारो)।




सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत

अभिलेख संख्या-133/2019-20

—: आदेश :—

अनुसूची 14-फारम संख्या-560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
04/07/2020	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>विक्रेता 1. फकीर महतो 2. कनी लाल महतो, पिता- स्व0 दुखु महतो, 3. शत्रुघन महतो, 4. बादल महतो, 5. फुचु महतो, पिता-स्व0 जादु महतो, 6. बिन्देश्वर महतो, 7. बिरेन्द्र महतो, पिता-स्व0 ऋषिकेश महतो, जाति-कुर्मी, ग्राम-डाबर बहाल, थाना-चास(मु0), अंचल-चास, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-कुशमा, थाना नं0-97 के खाता संख्या-22 प्लॉट नं0-934, रकवा 13.00 डी0 भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 22/भू0सु0, दिनांक 10.01.2020 द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 1088 दिनांक 18.06.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है:-</p> <ol style="list-style-type: none">1. बिक्री की जाने वाली भूमि रैयती खाते की है जिसका सर्वे खतियान जतीलाल महतो एवं अन्य के नाम से दर्ज है।2. (क). विक्रेता ग्राम-डाबर बहाल, थाना-चास(मु0), जिला-बोकारो, के मूल निवासी हैं। (ख). क्रेता ग्राम-डाबर बहाल, पोस्ट-दुधीगाजर, थाना-चास(मु0), जिला-बोकारो के मूल निवासी हैं।3. क्रेता एवं विक्रेता दोनों जाति के कुर्मी (महतो) हैं, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के श्रेणी में आते हैं।4. प्रश्नगत भूमि बिक्री करने के पश्चात 2.00 एकड़ भूमि शेष बचता है।5. भूमि बिक्री के उपरांत विक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे।6. बिक्री की जाने वाली भूमि विक्रेता को खतियान के द्वारा प्राप्त है।7. बिक्री की जाने वाली भूमि का जमाबंदी पंजी-II के थोका संख्या-94 में कायम है एवं वर्ष 1995-96 तक रसीद निर्गत है।8. विक्रेता का वंशावली (स्वहस्ताक्षरीत) अभिलेख के साथ संलग्न है।9. बिक्री की जाने वाली भूमि पर विक्रेता का शान्तिपूर्वक दखल कब्जा है।10. बिक्री की जाने वाली भूमि का किस्म-गोड़ा तीन है।11. अंचल अधिकारी, चास द्वारा मौजा-कुशमा, थाना नं0-97 के खाता संख्या-22 प्लॉट नं0-934 रकवा 13.00 डिसमील भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	<p>विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं०-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. JHRC/2017/133534 - DATE ^{30.}04.03.2017 2. JHRC/2017/822048 - DATE 02.08.2017 3. JHRC/2019/697721 - DATE 27.11.2019 4. JHRC/2019/697329 - DATE 22.11.2019 5. JHRC/2019/690004 - DATE 18.11.2019 6. JHRCC/2019/697581 - DATE 27.11.2019 7. JHRCC/2019/697628 - DATE 27.11.2019 एवं <p>क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र-JHRC/2019/320650 दिनांक 23.04.2019 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत विक्रेता 1. फकीर महतो 2. कनी लाल महतो, पिता- स्व० दुखु महतो, 3. शत्रुघन महतो, 4. बादल महतो, 5. फुचु महतो, पिता-स्व० जादु महतो, 6. बिन्देश्वर महतो, 7. बिरेन्द्र महतो, पिता-स्व० ऋषिकेश महतो, जाति-कुर्मी, ग्राम-डाबर बहाल, थाना-चास(मु०), अंचल-चास, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-कुशमा, थाना नं०-97 के खाता संख्या-22 प्लॉट नं०-934, रकवा 13.00 डी० भूमि क्रेता मीरा महतो, पति-राम प्रसाद महतो, जाति-कुर्मी, ग्राम-डाबर बहाल, पोस्ट-दुधीगाजर, थाना-चास(मु०), जिला-बोकारो को बिक्री करने की अनुमति दी जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास।</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।</p>	<p></p>